

[2023] 6 एस. सी. आर. 717

ए.

मेसर्स ग्लॉक एशिया-पैसिफिक लिमिटेड v.

भारत का संघ

(2022 की मध्यस्थता याचिका संख्या 51) 19 मई, 2023

बी.

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, मुख्य न्यायाधीश , पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा और जे. बी. पारदीवाला, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996।11(6), 12(5) – गृह मंत्रालय ने निविदा जारी की-आवेदक की बोली को निविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार स्वीकार किया गया था, जिसमें मध्यस्थता खंड का प्रावधान था, जिसने गृह मंत्रालय के सचिव को विधि मंत्रालय में एक अधिकारी को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने में सक्षम बनाया-मध्यस्थता का आह्वान करने वाले आवेदक ने उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नामित किया, जो प्रत्यर्थी के अनुसार निविदा की शर्तों के विपरीत था-यू/एस द्वारा दायर आवेदन। 11(6) उच्चतम न्यायालय के समक्ष अभिनिर्धारित किया गया:वर्तमान मामले में मध्यस्थता खंड भारत संघ के एक सेवारत कर्मचारी को, अनुबंध का एक पक्ष, भारत संघ के एक सेवारत कर्मचारी को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नामित करने में सक्षम बनाता है-ऐसा मध्यस्थता खंड स्पष्ट रूप से अनुसूची VII के पैराग्राफ 1 में प्रदान की गई स्पष्ट रूप से अयोग्य श्रेणी के भीतर आता है, जिसे s के सहपठित पढ़ा जाता है।12(5) अधिनियम का-एक मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने के आधार के रूप में।12(5) इसके विपरीत किसी भी पूर्व समझौते के बावजूद, कानून और न्याय मंत्रालय के एक अधिकारी की मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है-अनुच्छेद 299 से उत्पन्न होने वाली कोई प्रतिरक्षा नहीं है, इस तर्क का समर्थन करने के लिए कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा व्यक्त किए जाने वाले अनुबंधों के लिए, मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति की अयोग्यता जैसा कि यू/एस द्वारा विचार किया गया है।12(5) अनुसूची VII सहपठित अधिनियम लागू नहीं होगा-आवेदन यू/एस।11(6) अनुमति-भारत का संविधान-अनुच्छेद 299।भारत का संविधान-अनुच्छेद 299-चर्चा-मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 का उद्देश्य और उद्देश्य।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

वोएस्टाल्पाइन शियेनन जीएमबीएच बनाम डीएमआरसी **(2017) 4 एससीसी 665 :[2017] 1 एससीआर 798**-प्रतिष्ठित।

एच.

717

718 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 6 एस. सी. आर.

ए.

रेलवे विद्युतीकरण के लिए केंद्रीय संगठन बनाम मैसर्स ईसीआई-एसपीआईसी-एसएमओ-एमसीएमएल (जेवी) एक संयुक्त उद्यम

कंपनी (2020) 14 एससीसी 712:[2019] 16 एस. सी. आर. 1234-लागू नहीं होता है।

पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डी. पी. सी. और एक अन्य बनाम एच. एस. सी. सी. (इंडिया) लिमिटेड (2020) 20 एस. सी. सी. 760; चतुर्भुज विठ्ठलदास जसानी बनाम मोरेश्वर पराश्रम और अन्य [1954] एस. सी. आर.

बी.

817 - पर भरोसा किया।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ओआरएस।बनाम राजा ट्रांसपोर्ट

प्राइवेट लिमिटेड (2009) 8 एससीसी 520:[2009] 13 एस. सी. आर. 510; केपी.

चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य।और अन्य (1966) 3 एस. सी. आर. 919; भिकराज जयपुरिया बनाम भारत संघ

सी.

[1962] 2 एस. सी. आर. 880; मुलमचंद बनाम मध्य राज्य

प्रदेश **(1968) 3 एससीआर 214**; असम राज्य और ओआरएस बनाम।श्री कनक चंद्र दत्ता, **[1967] 1 एस. सी. आर. 679**; भारत संघ बनाम मेसर्स तांतिया कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड एस. एल. पी. (सी) नं. **12670/2020**; जे. डब्ल्यू. एस. स्टील लिमिटेड बनाम दक्षिण-पश्चिमी रेलवे

डी.

और एन. आर. एस. एल. पी. (सी) सं. 9462/2022-संदर्भित।संदर्भित निर्णय

(2020) 20 एस. सी. सी. 760

पर भरोसा किया गया |

पैरा **6 [2009] 13** पैरा **7 [2019] 16** एस. सी. आर. **1234** को संदर्भित एस. सी. आर. **510** लागू नहीं होता पैरा **7 [1954]** एस. सी. आर. **817**

ई.

पर भरोसा किया गया |

पैरा **11 [1966] 3** एस. सी. आर. **919** पैरा **12 [1962] 2** एस. सी. आर. **880**
पैरा **12 [1967] 1** एस. सी. आर. **679** पैरा **15 [2017] 1** एस. सी. आर. **798**
विशिष्ट पैरा **20**

एफ.

नागरिक मूल न्यायनिर्णय:2022 की मध्यस्थता याचिका No.51।

जी.

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति, भारत सरकार के केंद्रीय खरीद संगठन (अब वाणिज्य विभाग के तहत) द्वारा किए गए अनुबंधों पर लागू अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 24 के अनुसरण में फॉर्म ए

एच.

719

मेसर्स ग्लॉक एशिया-पैसिफिक लिमिटेड v.भारत संघ ए

नहीं। याची और प्रतिवादी के बीच निष्पादित डी. जी. एस. और डी. 68 (संशोधित)]

रामकृष्णन विराराघवन, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्याम डी. नंदन, सिद्धार्थ बंभा, अंकित साहनी, के. कृष्ण कुमार, श्रीमती कृतिका साहनी, सुश्री सुचारु गर्ग, अधिवक्तागण याची के लिए।

बी.

श्रीमती ऐश्वर्या भाटी, ए. एस. जी., रजत नायर, सुश्री दीपबली दत्ता, सौरव रॉय, सुश्री शिविका मेहरा, सुश्री मनीषा चावा, नितिन पावलुरी, अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

पमिडिगंथम श्री नरसिम्हा, जे.

सी.

1. यह ग्लॉक एशिया-पैसिफिक लिमिटेड द्वारा एकल मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत एक आवेदन है।

2. तथ्य: गृह मंत्रालय (खरीद प्रभाग) 3 ने 31,756 ग्लॉक पिस्तौल की आपूर्ति के लिए 02.02.2011 पर एकल पक्षीय निविदा जारी की। बोली की पुष्टि आवेदक के पक्ष में की गई थी और प्रत्यर्थी द्वारा 31.03.2011 पर स्वीकृति का निविदा जारी किया गया था। स्वीकृति के निविदा के खंड 6.4 में याची को अनुबंध के मूल्य के 10 प्रतिशत का प्रदर्शन बांड जमा करने की आवश्यकता थी, जो यू. एस. डी. 13,29,093-था। आवेदक ने 24.08.2011 पर प्रदर्शन बैंक गारंटी 5 प्रस्तुत की और अपने संविदात्मक दायित्वों का पालन करने के लिए आगे बढ़ा और वास्तव में, 06.08.2012 द्वारा अनुबंध के तहत पूरी आपूर्ति प्रदान की।

डी.

ई.

1 इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित 2 इसके बाद 'आवेदक' के रूप में संदर्भित 3 इसके बाद 'प्रतिवादी' के रूप में संदर्भित।

एफ.

4 "6. प्रदर्शन प्रतिभूति जमा-आप अनुबंध के मूल्य के 10 प्रतिशत का प्रदर्शन बांड जमा करेंगे, जो कि संयुक्त सचिव (पुलिस आधुनिकीकरण), गृह मंत्रालय, जैसलमेर हाउस, नई दिल्ली के पक्ष में आवश्यक प्रदर्शन के रूप में बैंक गारंटी के रूप में अनुबंध के मूल्य का 10 प्रतिशत है। प्रदर्शन गारंटी वारंटी अवधि की समाप्ति के बाद दो महीने तक वैध रहेगी, जो माल प्राप्तकर्ता स्थान पर स्वीकृति स्टोर की तारीख से 18 महीने होगी। यदि आवश्यक हो, तो फर्म को अपने दम पर अपने बैंकों को वारंटी अवधि के बाद दो महीने तक वैध रहने के लिए प्रदर्शन बांड बढ़ाने का निर्देश देना होगा। जहां प्रदर्शन बैंक गारंटी किसी विदेशी बैंक से प्राप्त की जाती है, वहां इसकी पुष्टि एक अनुसूचित भारतीय बैंक द्वारा की जाएगी और यह भारतीय कानूनों द्वारा शासित होगी और निविदा (ए/टी) की स्वीकृति के स्थान के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगी। अर्थात् दिल्ली।"

जी.

5 इसके बाद 'पी. बी. जी.' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

एच.

720

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 6 एस सी आर।

प्रत्यर्थी ने खेप को स्वीकार कर लिया और 11.11.2012 द्वारा पूरे भुगतान का भुगतान किया।

3. पी. बी. जी. जो 24.08.2011 पर जारी किया गया था, अनुबंध के निर्वाह के दौरान समय-समय पर और उसके बाद 2021 तक, यानी अनुबंध के तहत वितरण और अंतिम भुगतान के पूरा होने के बाद नौ साल के लिए बढ़ाया गया था। 31.05.2021 पर, आवेदक ने प्रत्यर्थी को सूचित किया कि पी. बी. जी. को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। प्रत्यर्थी ने निविदा की स्वीकृति के अनुसूची II के खंड 11 और 18 (सी) का हवाला देते हुए तुरंत पी. बी. जी. को आई. एन. आर. 9,64,42,738/- के लिए बुलाया। ये खंड, जो गारंटी और वारंटी प्रदान करते हैं, इस प्रकार हैं:

बी.

“खंड 11. गारंटी/वारंटी: 40,000 पिस्तौल और ओआरएस के लिए राउंड। 18 भारत में प्रेषक स्थान पर अच्छी स्थिति में ई. क्यू. पी. टी./स्टोर की स्वीकृति की तारीख से महीनों। खंड 18 (ग) वारंटी: आपूर्तिकर्ता अपनी वारंटी प्रस्तुत करता है कि उपयोग पर अनुबंध के तहत आपूर्ति की गई वस्तुओं में डिजाइन और सामग्री में सभी हालिया सुधार शामिल हैं। आपूर्तिकर्ता इस अनुबंध के तहत आपूर्ति की गई वस्तुओं की वारंटी के लिए डिजाइन, कारीगरी की सामग्री या किसी कार्य या कमीशन या आपूर्तिकर्ता द्वारा अंतिम गंतव्य के देश में प्राप्त स्थिति में आपूर्ति की गई वस्तुओं के सामान्य उपयोग से उत्पन्न कोई दोष नहीं होगा। दुकानों की स्वीकृति की तारीख से 40,000 राउंड पिस्तौल और अन्य वस्तुओं की वारंटी 18 महीने तक वैध रहेगी। माल प्राप्तकर्ता इस वारंटी के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे के बारे में आपूर्तिकर्ता को तुरंत लिखित रूप में सूचित करेगा। इस तरह की सूचना की प्राप्ति के बाद आपूर्तिकर्ता इस खंड में निर्धारित वारंटी अवधि के भीतर दोषों को दूर करने में विफल रहा, खरीदार ऐसी मध्यस्थ कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ सकता है जो आपूर्तिकर्ता के जोखिम और खर्च पर और किसी अन्य अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना आवश्यक हो जो अनुबंध के तहत खरीदार के पास हो सकता है। वास्तविक मूल्य के आधार पर इंडेंटर को निर्माता की आवश्यकता होगी। वारंटी समर्थन में मुफ्त में उपकरणों की स्थापना और चालू करना शामिल होगा। वारंटी अवधि के दौरान आवश्यकता पड़ने पर उपकरणों की स्थापना और मरम्मत के स्थान पर उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से निःशुल्क संचालन प्रशिक्षण।”

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

4. आवेदक ने 20.07.2022 पर मध्यस्थता का आह्वान करते हुए एक नोटिस जारी किया, और दिल्ली उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को एकमात्र ए के रूप में नामित किया।

एच.

मेसर्स ग्लॉक एशिया-पैसिफिक लिमिटेड v. भारत संघ [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे.] ए.

मध्यस्थ।प्रत्यर्थी को 15 दिनों के भीतर नामांकन स्वीकार करने के लिए कहा गया था।मध्यस्थता का आह्वान करने वाले नोटिस का जवाब देते हुए, प्रत्यर्थी ने दिनांकित एक पत्र द्वारा कहा कि नामांकन निविदा की शर्तों के खंड 28 के विपरीत था, जिसके अनुसार विवादों को गृह मंत्रालय के सचिव द्वारा नियुक्त कानून मंत्रालय के एक अधिकारी द्वारा मध्यस्थता के लिए भेजा जाना है।खंड 28 निम्नानुसार है:

बी.

“28. संगठन

इन शर्तों या अनुबंध की किसी विशेष शर्तों के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, विवाद या मतभेद की स्थिति में, या इस अनुबंध के संबंध में (किसी ऐसे मामले को छोड़कर जिसका निर्णय विशेष रूप से इन या विशेष शर्तों द्वारा प्रदान किया गया है), इसे गृह मंत्रालय के सचिव द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त विधि मंत्रालय के एक अधिकारी के एकमात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।यह कोई आपत्ति नहीं होगी कि मध्यस्थ एक सरकारी कर्मचारी है कि उसे उन मामलों से निपटना था जिनसे अनुबंध संबंधित है या एक सरकारी कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के दौरान उसने सभी या किसी भी विवाद या मतभेद वाले मामलों पर विचार व्यक्त किए हैं।मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा और इस अनुबंध के पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

सी.

डी.

ई.

(जोर दिया गया) 5.यह उपरोक्त संदर्भ में है कि आवेदक, एक विदेशी कंपनी होने के नाते, इस न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत वर्तमान आवेदन दायर किया।

6. प्रस्तुतियाँ:श्री रामकृष्णन विराराघवन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, आवेदक की ओर से उपस्थित श्री श्याम डी. नंदन, एओआर के साथ, प्रस्तुत विद्वान कि प्रतिवादी के पत्र दिनांक 03.10.2022 के अनुसार एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति अधिनियम की धारा 12 (5) के विपरीत होगी। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा विद्वान

एफ.

पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डी. पी. सी. और एक अन्य बनाम एच. एस. सी. सी. (भारत)

जी.

लिमिटेड 6 आपत्ति केवल यह है कि प्रत्यर्थी, भारत संघ, समझौते का एक पक्ष होने के नाते, अपने स्वयं के कर्मचारी, कानून मंत्रालय में एक अधिकारी को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करना, अधिनियम की धारा 12 (5) के अधिदेश के साथ संघर्ष करेगा।

6 (2020) 20 एससीसी 760।

एच.

722

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 6 एस सी आर।

7. प्रत्यर्थी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि पर्किन्स (उपरोक्त) के फैसले का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह इंगित करेंगी कि वर्तमान मामले में अनुबंध, पर्किन्स (उपरोक्त) के विपरीत, भारत के राष्ट्रपति के नाम पर है, और यह एक स्पष्ट अंतर है। विद्वान एएसजी ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ओआरएस पर भी भरोसा विद्वान। बनाम राजा ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। 7 यह तर्क देना कि एक बार जब कोई पक्ष मध्यस्थ के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए समझौता कर लेता है, तो वह मध्यस्थता खंड से बाहर नहीं निकल सकता है। वैकल्पिक रूप से, ए. एस. जी. ने केंद्रीय संगठन में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया

बी.

रेलवे विद्युतीकरण बनाम ईसीआई-एसपीआईसी-एस. एम. ओ.-एम. सी. एम. एल. (जे. वी.) ए संयुक्त

उद्यम कंपनी 8, जहां रेल मंत्रालय द्वारा मध्यस्थों के एक पैनल की नियुक्ति को वैध माना गया था। इसलिए, वह तर्क देंगी कि विधि मंत्रालय में एक अधिकारी को नामित करने की शक्ति अधिनियम की धारा 12 (5) के साथ टकराव में नहीं है।

सी.

8. विश्लेषण: चूंकि निविदा की शर्तों के खंड 28 के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति के बारे में आपत्ति अधिनियम की धारा 12 (5) के तहत वैधानिक निषेध पर आधारित है, इसलिए हम तैयार संदर्भ के लिए धारा के प्रासंगिक हिस्से को पुनः प्रस्तुत करेंगे:

डी.

“12. चुनौती के आधार:...

(1) जब किसी व्यक्ति से मध्यस्थ के रूप में उसकी संभावित नियुक्ति के संबंध में संपर्क किया जाता है, तो वह किसी भी परिस्थिति में लिखित रूप में खुलासा करेगा, -

ई.

.....

(2)...

एफ.

(3)...

(4)...

(5) इसके विपरीत किसी भी पूर्व समझौते के बावजूद, कोई भी व्यक्ति जिसका संबंध, पक्षों या वकील या विवाद के विषय के साथ, सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आता है, मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा:

जी.

7 (2009) 8 एससीसी 520। 8 (2020) 14 एससीसी 712।

एच.

723

मेसर्स ग्लॉक एशिया-पैसिफिक लिमिटेड v. भारत संघ [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे.] ए.

ए.

बशर्ते कि पक्षकार, अपने बीच उत्पन्न हुए विवादों के बाद, लिखित में एक स्पष्ट समझौते द्वारा इस उप-धारा की प्रयोज्यता को माफ कर सकते हैं।

(जोर दिया गया) 9. अधिनियम की सातवीं अनुसूची में प्रदान किए गए हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक संबंधों की श्रेणी निम्नानुसार है:

बी.

“ सातवीं अनुसूची:

पक्ष या वकील के साथ मध्यस्थ का संबंध;

1. मध्यस्थ एक कर्मचारी, सलाहकार, सलाहकार होता है या किसी पक्ष के साथ उसका कोई अन्य पूर्व या वर्तमान व्यावसायिक संबंध होता है।”

सी.

री:भारत के राष्ट्रपति के नाम से व्यक्त अनुबंधों के संबंध में प्रस्तुतिकरण।

10. हम सबसे पहले विद्वान ए. एस. जी., सुश्री भाटी के निवेदन पर विचार करेंगे कि वर्तमान मामले में अनुबंध एक अलग आधार पर है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति के नाम पर विद्वान गया है। भारत के संविधान 9 के अनुच्छेद 299 में प्रावधान है कि संघ की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए किए गए सभी अनुबंध राष्ट्रपति के नाम पर किए जाने के लिए व्यक्त किए जाएंगे। 'व्यक्त किए जाने के लिए' वाक्यांश और 'निष्पादित' शब्द का अर्थ यह है कि एक विलेख या अनुबंध लिखित रूप में होना चाहिए और उस संबंध में राज्यपाल के राष्ट्रपति द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए।

डी.

ई.

11. अनुच्छेद 299 (1) का तर्क, जैसा कि चट्टरभूज में समझाया गया है

विठ्ठलदास जसानी बनाम मोरेश्वर पराश्रम और अन्य 10 यह है कि

एक निश्चित प्रक्रिया होगी जिसके अनुसार सरकार को बाध्य करने के लिए सरकार के एजेंटों द्वारा अनुबंध किए जाने चाहिए, अन्यथा

एफ.

9 "299. अनुबंध

(1) संघ या किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए किए गए सभी अनुबंध राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल द्वारा किए गए व्यक्त किए जाएंगे, और ऐसे सभी अनुबंध और उस शक्ति का प्रयोग करते हुए किए गए संपत्ति के सभी आश्वासन राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से ऐसे व्यक्तियों द्वारा और ऐसी तरीके से निष्पादित किए जाएंगे जो वह निर्देशित या अधिकृत करे।

जी.

(2) इस संविधान के प्रयोजनों के लिए या भारत सरकार से संबंधित किसी अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किए गए या निष्पादित किए गए किसी अनुबंध या आश्वासन के संबंध में न तो राष्ट्रपति और न ही राज्यपाल व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे, और न ही उनमें से किसी की ओर से ऐसा कोई अनुबंध या आश्वासन देने या निष्पादित करने वाला कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

10 (1954) एससीआर 817।

एच.

724

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 6 एस सी आर।

अनाधिकृत या अवैध अनुबंधों से सार्वजनिक धन समाप्त हो सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि संविधान के अनुच्छेद 299 (1) द्वारा निर्धारित विशेष रूप में नहीं किए गए अनुबंध किसी भी संविदाकारी पक्ष के कहने पर लागू नहीं किए जा सकते हैं।

12. इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 299 केवल उस औपचारिकता को निर्धारित करता है जो सरकार को संविदात्मक दायित्व से बांधने के लिए आवश्यक है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 299 सरकार के संविदात्मक दायित्व से संबंधित महत्वपूर्ण कानून को निर्धारित नहीं करता है, जो देश के सामान्य कानूनों में पाया जाता है। यही कारण है कि, भले ही कोई अनुबंध अनुच्छेद 299 के तहत औपचारिक रूप से मान्य हो, फिर भी यह सरकार को बाध्य करने में विफल हो सकता है यदि यह कानून के सामान्य प्रावधानों के तहत अमान्य या अप्रवर्तनीय है।¹¹

बी.

सी.

13. अनुच्छेद 299 के उद्देश्य और उद्देश्य पर विचार करने के बाद, हमारी स्पष्ट राय है कि भारत के राष्ट्रपति के नाम पर किया गया एक अनुबंध, किसी समझौते के पक्षों पर शर्तें लगाने वाले किसी भी वैधानिक पक्ष के आवेदन के खिलाफ प्रतिरक्षा पैदा नहीं कर सकता है और न ही करेगा, जब सरकार एक अनुबंध करने का विकल्प चुनती है। हम समर्थन करने के लिए अनुच्छेद 299 से उत्पन्न किसी भी प्रतिरक्षा का पता लगाने में असमर्थ हैं।

डी.

यह तर्क कि राष्ट्रपति द्वारा व्यक्त किए जाने वाले अनुबंधों के लिए

भारत में, अनुसूची VII सहपठित अधिनियम की धारा 12 (5) के तहत विचार के अनुसार मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति की अयोग्यता लागू नहीं होगी।

ई.

14. हमें विद्वान ए. एस. जी. के इस कथन को अस्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति के नाम पर भारत संघ द्वारा किए गए अनुबंध अधिनियम की धारा 12 (5) के तहत किसी अनुबंध के लिए किसी पक्ष के हितों के टकराव से बचाने वाले प्रावधानों से मुक्त हैं।

एफ.

री: अधिनियम की सातवीं अनुसूची के अनुच्छेद **1** सहपठित धारा **12 (5)** के साथ मध्यस्थता खंड का टकराव।

15. ग्लॉक पिस्तौल की खरीद के लिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा दिनांकित 02.02.2011 निविदा सूचना जारी की गई थी। आवेदक की बोली 31.03.2011 पर स्वीकार की गई थी

जी.

11 छत्तीसगढ़ विट्ठलदास जसानी बनाम मोरेश्वर पराश्रम और अन्य (1954) एस. सी. आर. 817; के. पी. सी. हावधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य देखें। और अन्य (1966) 3 एससीआर 919;

भिकराज जयपुरिया बनाम भारत संघ (1962) 2 एस. सी. आर. 880; मुलमचंद बनाम मध्य राज्य

प्रदेश (1968) 3 एस. सी. आर. 214; यह भी देखें, डी. डी. बसु, भारतीय संविधान (खंड 3), 13601

एच.

13619 .

725

मेसर्स ग्लॉक एशिया-पैसिफिक लिमिटेड v. भारत संघ [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे.] ए.

ए.

निविदा सं. में निहित नियम और शर्तें। डी/21013/30/3218 2.11.2011/PW-3। उक्त नियम और शर्तें विशेष रूप से निविदा में संलग्न अनुसूची के खंड 28 के अनुसार मध्यस्थता के लिए प्रदान की गई हैं। मध्यस्थता खंड गृह मंत्रालय के सचिव को इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त करने में सक्षम बनाता है। गृह मंत्रालय अनुबंध का एक पक्ष है। मध्यस्थता खंड मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले सचिव को विधि मंत्रालय में एक अधिकारी को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने में सक्षम बनाता है। दूसरे शब्दों में, प्रस्तावित मध्यस्थ भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय का एक कर्मचारी होगा और साथ ही, नियुक्ति प्राधिकरण, गृह मंत्रालय का सचिव भी भारत सरकार का एक कर्मचारी होगा।¹²

बी.

सी.

16. इसी संदर्भ में, हम लाभप्रद रूप से 246 वें विधि आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश का उल्लेख कर सकते हैं जो राज्य संस्थाओं के साथ अनुबंधों के मुद्दे पर प्रतिबिंबित होती है और कहा कि जब मध्यस्थ की नियुक्ति करने वाला पक्ष राज्य होता है, तो एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायनिर्णायक नियुक्त करने का कर्तव्य और भी अधिक कठिन होता है। उनके विचार-विमर्श और सिफारिशें, जिनके कारण अधिनियम में सातवीं अनुसूची के साथ धारा 12 (5) को लागू किया गया, निम्नानुसार निकाले गए हैं:

डी.

“56. इस प्रावधान की सीमाओं का परीक्षण भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में राज्य संस्थाओं के साथ अनुबंधों के संदर्भ में किया गया है, जिसमें विशेष व्यक्तियों/पदनामों (उस संस्था से जुड़े) को संभावित मध्यस्थ के रूप में नामित किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका निपटारा उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला द्वारा किया गया है (देखें कार्यकारी अभियंता, सिंचाई प्रभाग, पुरी बनाम गंगाराम छापोलिया, 1984 (3) एस. सी. सी. 627; सरकारी परिवहन विभाग के सचिव, मद्रास बनाम मुनुसामी मुदलियार, 1988 (पूरक) एस. सी. सी.

651; भारतीय अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण बनाम K.D.Bali और ए. एन. आर., 1988 (2) एस. सी. सी. 360; S.Rajan बनाम केरल राज्य, 1992 (3) एस. सी. सी. 608; एम/एस. इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स बनाम एम./एस. इंडो -

ई.

एफ.

12 असम और ओआरएस राज्य में। बनाम श्री कनक चंद्र दत्ता, (1967) 1 एस. सी. आर. 679, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

जी.

"9. राज्य के अधीन पद धारण करने वाला व्यक्ति राज्य के अधीन सेवारत या नियोजित व्यक्ति होता है। अनुच्छेद 309, 310 और 311 के सीमांत नोट देखें। भाग XIV और अध्याय I का शीर्षक और उप-शीर्षक सेवा के तत्व पर जोर देता है। राज्य और उसके अधीन पद धारण करने वाले व्यक्ति के बीच स्वामी और सेवक का संबंध होता है। इस संबंध के अस्तित्व का संकेत राज्य के पद के धारक को चुनने और नियुक्त करने के अधिकार, उसे निलंबित करने और बर्खास्त करने के अधिकार, उसके काम करने के तरीके और तरीके को नियंत्रित करने के अधिकार और उसके द्वारा उसके वेतन या पारिश्रमिक के भुगतान से मिलता है।

एच.

726 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 6 एस. सी. आर.

स्विस सिंथेटिक्स जर्म मैनुफैक्चरिंग Co.Ltd., 1996 (1) SCC 54; भारत संघ बनाम M.P.Gupta, (2004) 10 SCC 504; एस पाइपलाइन कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वी. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 2007 (5) एस. सी. सी. 304) ने कहा कि सरकारी अनुबंधों में मध्यस्थता समझौते जो विभाग के एक सेवारत कर्मचारी द्वारा मध्यस्थता के लिए प्रदान किए जाते हैं, वैध और प्रवर्तनीय हैं। जबकि सुप्रीम न्यायालय, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में। लिमिटेड वी. राजा ट्रांसपोर्ट (पी) लिमिटेड, 2009 8 एस. सी. सी. 520 ने उन स्थितियों में एक मामूली अपवाद बनाया जब मध्यस्थ "विषय अनुबंध के संबंध में नियंत्रण या व्यवहार करने वाला प्राधिकारी था या यदि वह उस अधिकारी का प्रत्यक्ष अधीनस्थ है (जैसा कि किसी अन्य विभाग में निम्न श्रेणी के अधिकारी के विपरीत) जिसका निर्णय विवाद का विषय है", और इस अपवाद का उपयोग सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डेनेल प्रोप्रिटोरी लिमिटेड बनाम भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 817 और बाइप्रोमाज़ बाइप्रोन ट्रेडिंग एस. ए. बनाम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, (2012) 6 एस. सी. सी. 384, धारा 11 के तहत एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए, यह पर्याप्त नहीं है।

बी.

सी.

डी.

57. प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और इन अनुबंधों की बाध्यकारी प्रकृति के बीच संतुलन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बाद वाले के पक्ष में झुका हुआ प्रतीत होता है, और आयोग का मानना है कि कानून की वर्तमान स्थिति संतोषजनक नहीं है। चूंकि निष्पक्षता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को कार्यवाही के किसी भी स्तर पर, विशेष रूप से मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन के स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह कहना असंगत होगा कि इन सिद्धांतों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए पक्ष की स्वायत्तता का प्रयोग किया जा सकता है-भले ही दोनों पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न होने से पहले ही इस पर सहमति हो चुकी हो। स्वतंत्रता और निष्पक्षता के कुछ न्यूनतम स्तर हैं जो पक्षों के स्पष्ट समझौते की परवाह किए बिना मध्यस्थता प्रक्रिया के लिए आवश्यक होने चाहिए। उदाहरण के लिए, एक विवेकपूर्ण कानून एक ऐसे मध्यस्थ की नियुक्ति की अनुमति नहीं दे सकता है जो स्वयं विवाद का एक पक्ष है, या जो एक पक्ष द्वारा नियोजित (या इसी तरह निर्भर) है, भले ही पक्षकार इस पर सहमत हों। आयोग ने जल्दबाजी में यह जोड़ा कि विधि आयोग के पदेन सदस्य श्री पी. के. मल्होत्रा ने राज्य के लिए एक अपवाद रखने का सुझाव दिया और राज्य पक्षों को कर्मचारी मध्यस्थों की नियुक्ति करने की अनुमति दी। आयोग की राय है कि इस मुद्दे पर कोई ए नहीं हो सकता है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

727

मेसर्स ग्लॉक एशिया-पैसिफिक लिमिटेड v. भारत संघ [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे.] ए.

राज्य और गैर-राज्य दलों के बीच अंतर। पार्टी की स्वायत्तता की अवधारणा को उस बिंदु तक नहीं बढ़ाया जा सकता है जहां यह विवादों के समाधान के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायनिर्णायकों के होने के आधार को नकारता है। वास्तव में, जब एक न्यायनिर्णायक नियुक्त करने वाला पक्ष राज्य होता है, तो एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायनिर्णायक नियुक्त करने का कर्तव्य बहुत अधिक कठिन होता है-और प्राकृतिक न्याय के अधिकार को केवल अनुबंध के समय और विवाद उत्पन्न होने से पहले पक्षों के बीच "पूर्व" समझौते के आधार पर माफ नहीं किया जा सकता है।”

बी.

(जोर दिया गया) 17. विधि आयोग की सिफारिश के बाद, धारा 12 की उप-धारा (5) को 23.10.2015 से अधिनियम में जोड़ा गया था। अधिनियम की धारा 12 (5) के वैधानिक अधिदेश के रूप में

सी.

"किसी भी पूर्व समझौते के बावजूद" लागू करें, के खंड 28

समझौता (निविदा की शर्तें) अधिनियम की सातवीं अनुसूची के अनुच्छेद 1 के खिलाफ है।

डी.

18. पर्किन्स (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कोई भी व्यक्ति जिसकी विवाद के परिणाम में रुचि है, वह मध्यस्थ होने के लिए अयोग्य होगा। स्वाभाविक रूप से, ऐसे व्यक्ति के पास एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। इस निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

ई.

21. लेकिन, हमारे विचार में यह टी. आर. एफ. लिमिटेड से तार्किक कटौती होनी चाहिए। निर्णय के पैरा 50 से पता चलता है कि यह न्यायालय इस मुद्दे से संबंधित था, "क्या प्रबंध निदेशक, कानून के संचालन से अयोग्य होने के बाद, क्या वह अभी भी एक मध्यस्थ को नामित करने के लिए पात्र है" इसमें उल्लिखित अयोग्यता, कानून के संचालन के परिणामस्वरूप थी, जिसमें विवाद या परिणाम या निर्णय में रुचि रखने वाला व्यक्ति न केवल मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य होना चाहिए, बल्कि किसी और को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के लिए भी पात्र नहीं होना चाहिए और यह कि ऐसे व्यक्ति की मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति होने से विवाद समाधान के लिए कोई भी मार्ग तैयार करने में कोई भूमिका नहीं हो सकती है और न ही होनी चाहिए। पैराग्राफ के अगले वाक्य, आगे बताते हैं कि ऐसे मामले जहां दोनों पक्ष अपनी पसंद के संबंधित मध्यस्थों को नामित कर सकते थे, पूरी तरह से एक अलग स्थिति पाई गई। इसका कारण साफ है कि किसी भी पार्टी को जो भी फायदा हो

एफ.

जी.

एच.

728 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 6 एस. सी. आर.

अपनी पसंद के मध्यस्थ को नामित करने से प्राप्त हो सकता है जो दूसरे पक्ष के साथ समान शक्ति द्वारा प्रतिसंतुलित हो जाएगा। लेकिन, ऐसे मामले में जहां केवल एक पक्ष को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार है, उसकी पसंद में हमेशा विवाद समाधान के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करने या चार्ट बनाने में विशिष्टता का एक तत्व होगा। स्वाभाविक रूप से, जिस व्यक्ति की विवाद के परिणाम या निर्णय में रुचि है, उसके पास एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। इसे मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015

(2016 का 3) द्वारा लाए गए संशोधनों के सार के रूप में लिया जाना चाहिए और टी. आर. एफ. लिमिटेड में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए। एनर्गो इंग। प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, (2017) 8 एस. सी. सी. 377।

बी.

सी.

(जोर दिया गया) 19. अंत में, मध्यस्थता खंड जो गृह मंत्रालय के सचिव, जिनका भारत संघ के साथ संबंध एक कर्मचारी का है, को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए कानून और न्याय मंत्रालय के एक अधिकारी को नामित करने के लिए अधिकृत करता है, स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 12 (5) सहपठित अनुसूची VII के पैराग्राफ 1 में प्रदान की गई स्पष्ट रूप से अयोग्य श्रेणी के भीतर आता है। अधिनियम की धारा 12 (5) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने के आधार के रूप में कार्य करते हैं।

डी.

इसके विपरीत किसी भी पूर्व समझौते के बावजूद, हम नहीं दे सकते हैं

विधि और न्याय मंत्रालय के एक अधिकारी की मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति। इसलिए ऐसी नियुक्ति के पक्ष में विद्वान ए. एस. जी. की प्रस्तुति को अस्वीकार कर दिया जाता है।

ई.

री: रेलवे विद्युतीकरण के केंद्रीय संगठन में निर्णय पर भरोसा

एफ.

20. अब हम विद्वान ए. एस. जी. की प्रस्तुतियों के अंतिम अंग से निपटेंगे, जो रेलवे विद्युतीकरण के केंद्रीय संगठन (उपरोक्त) के उदाहरण से संबंधित है। इस मामले में, खंड 64 (3) (बी) ने तीन सदस्यों से मिलकर एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान किया। विचार की गई नियुक्ति प्रक्रिया ऐसी थी कि अपीलार्थी के महाप्रबंधक को चार सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारियों के पैनल को नामित करने की आवश्यकता थी, जिसमें से प्रतिवादी-ठेकेदार को दो नामों का चयन करना था। महाप्रबंधक को चयनित अधिकारियों में से कम से कम एक को ठेकेदार के नामित मध्यस्थ (ओं) के रूप में नियुक्त करने और एकतरफा रूप से शेष मध्यस्थों के साथ-साथ न्यायाधिकरण में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करने की आवश्यकता थी। पर्किन्स (उपरोक्त) का निर्णय उसमें लागू नहीं था क्योंकि अनुबंध में तीन सदस्यीय ए पर विचार किया गया था।

जी.

एच.

मेसर्स ग्लॉक एशिया-पैसिफिक लिमिटेड v. भारत संघ [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे.] ए.

मध्यस्थ न्यायाधिकरण, जबकि पर्किन्स (ऊपर) एकमात्र मध्यस्थों की एकतरफा नियुक्ति के मामलों पर लागू होता है। इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि,

“ बिल्कुल, मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 12 (5) के तहत मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए एक सेवानिवृत्त कर्मचारी की नियुक्ति पर कोई रोक नहीं है। 13. रेलवे विद्युतीकरण के केंद्रीय संगठन (ऊपर) में न्यायालय ने भी इस पर भरोसा किया बी.

वोएस्टाल्पाइन शियेनन जी. एम. बी. एच. बनाम डी. एम. आर. सी., 14 के मामले में सिद्धांत स्पष्ट किया गया, जिसमें डी. एम. आर. सी. ने रेलवे, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के नामों वाले पांच सदस्यीय पैनल को नामित किया और न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ नामांकन को बरकरार रखा, यह देखते हुए कि ऐसे सेवानिवृत्त व्यक्तियों को सूचीबद्ध करने का उद्देश्य था -

अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग करें। 15 रेलवे के केंद्रीय संगठन में सी.

विद्युतीकरण (ऊपर) इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा कि:

“27. जैसा कि वोएस्टाल्पाइन शियेनन जीएमबीएच [वोएस्टाल्पाइन शियेनन जीएमबीएच बनाम डीएमआरसी, (2017) 4 एससीसी 665 में आयोजित किया गया है: (2017) 2 एससीसी

डी.

13 (2020) 14 एस. सी. सी. 712, पैरा 26. 14 (2017) 4 एससीसी 665।

15 इबिद, पारस 24, 28:

“24. उन्हें प्रत्यर्थी डी. एम. आर. सी. के सलाहकार या सलाहकार के कर्मचारी के रूप में नहीं माना जा सकता है। यदि याची के इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो कोई भी व्यक्ति जिसने पहले केंद्र सरकार या अन्य स्वायत्त या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ किसी भी क्षमता में काम किया था, वह मध्यस्थ के रूप में कार्य करने का पात्र नहीं होगा, भले ही वह मध्यस्थ न हो।

ई.

इस मामले में डी. एम. आर. सी. की तरह, विचाराधीन पक्ष के साथ दूर से जुड़ा हुआ है। संशोधित

प्रावधान एक व्यक्ति पर मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए प्रतिबंध लगाता है, जो विवाद में पक्ष का कर्मचारी है। यह किसी व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने से भी वंचित करता है यदि वह सलाहकार या सलाहकार रहा है या डी. एम. आर. सी. के साथ उसका कोई पूर्व या वर्तमान व्यावसायिक संबंध रहा है। याची द्वारा ऐसा कोई मामला नहीं बनाया गया है।”

“26. यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल इसलिए कि व्यक्ति एक सेवानिवृत्त अधिकारी है जो सरकार या अन्य वैधानिक निगम या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से सेवानिवृत्त हुआ है और

एफ.

डी. एम. आर. सी. (विवादग्रस्त पक्ष) के साथ उनका कोई संबंध नहीं था, उन्हें मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य माना जाएगा। यदि विधायिका का यही इरादा होता, तो सातवीं अनुसूची में ऐसे व्यक्तियों को भी शामिल किया जाता। पक्षपात या यहाँ तक कि पूर्वाग्रह की वास्तविक संभावना को ऐसे उच्च योग्य और अनुभवी व्यक्तियों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, केवल इस आधार पर कि उन्होंने केंद्र सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों की सेवा की, भले ही उनके पास कोई नहीं था।

डी. एम. आर. सी. से संबंध। इन व्यक्तियों को सूचीबद्ध करने का मुख्य कारण यह सुनिश्चित करना है कि उनकी विशेषज्ञता का उपयोग करके विवाद के तकनीकी पहलुओं का उचित समाधान किया जाए।

जी.

जब वे मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। यहां यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि विधि आयोग ने उस अनुसूची को शामिल करने का प्रस्ताव दिया था जो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में हितों के टकराव पर आई. बी. ए. दिशानिर्देशों की लाल और नारंगी सूची से इस अवलोकन के साथ तैयार की गई थी कि इसे "यह निर्धारित करने के लिए मार्गदर्शक के रूप में माना जाएगा कि क्या ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो इस तरह के न्यायोचित संदेह को जन्म देती हैं"। ऐसे व्यक्ति आई. बी. ए. दिशानिर्देशों की लाल या नारंगी सूची में भी शामिल नहीं होते हैं।"

एच.

730 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 6 एस. सी. आर.

(सी. आई. वी.) 607], सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारियों को सूचीबद्ध करने का मूल कारण यह सुनिश्चित करना है कि जब वे मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं तो उनकी विशेषज्ञता का उपयोग करके विवाद के तकनीकी पहलुओं को उपयुक्त रूप से हल किया जाए। केवल इसलिए कि मध्यस्थों का पैनल सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जिन्होंने रेलवे में काम किया है, यह उन्हें मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य नहीं बनाता है।"

बी.

(जोर दिया गया) 21. इसके विपरीत, वर्तमान मामले में मध्यस्थता खंड भारत संघ के एक सेवारत कर्मचारी, अनुबंध का एक पक्ष, को भारत संघ के एक सेवारत कर्मचारी को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नामित करने में सक्षम बनाता है। इस तरह का प्राधिकरण स्पष्ट रूप से मध्यस्थता खंड से अलग है

सी.

वोएस्टाल्पाइन शियेनन जीएमबीएच (सुप्रा) और केंद्रीय संगठन

रेलवे विद्युतीकरण (ऊपर), और अधिनियम की धारा 12 (5) के साथ टकराव में है। बार में यह सूचित किया गया कि निर्णय की शुद्धता

रेलवे विद्युतीकरण के केंद्रीय संगठन 16

चुनौती दी गई और भारत संघ बनाम एम/एस में एक बड़ी पीठ को संदर्भित किया गया डी.

टांटिया कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड 17 और जे. डब्ल्यू. एस. स्टील लिमिटेड बनाम साउथवेस्टर्न रेलवे और ए. एन. आर 18.जैसा कि हमने देखा है कि केंद्र में निर्णय

रेलवे विद्युतीकरण का संगठन (उपरोक्त) में लागू नहीं है

वर्तमान मामले में, वृहद पीठ को उसके निर्देश का वर्तमान मामले के परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ई.

22. ऊपर बताए गए कारणों से, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत वर्तमान आवेदन की अनुमति है।हम मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की संशोधित धारा 12 के तहत अनिवार्य प्रकटीकरण के अधीन, पक्षों के बीच किए गए निविदा की शर्तों के तहत और उनके संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों पर निर्णय लेने के लिए इस न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश सुश्री इंदु मल्होत्रा को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करते हैं।

एफ.

दिव्या पांडे

आवेदन की अनुमति दी गई।

(सहायक: शेवाली मोंगा, एलसीआरए)

जी.

16 आइबीआइडी।

17 एसएलपी (सी) सं. 12670/2020 18 एसएलपी (सी) सं. 9462/2022

एच.